भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2058

जिसका उत्तर 22.09.2020 को दिया जाना है

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2058. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं में लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पूर्ण किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं संबंधी संविदा समझौते का उल्लंघन करने वाली इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लंबित एनएच परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे है;

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह)

(क) और (ख): ऐसी कोई परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति के कारण लंबित नहीं है।

(ग): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अगस्त, 2020 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की 34,243 किमी लम्बाई का निर्माण किया गया है।

(घ): एनएचएआई ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक सफलतापूर्वक लगभग 42 लाख पौधारोपण किया है।

(ड.): संविदा समझौते के उल्लंघन की मामला दर मामला आधार पर जांच की जाती है। सरकार ठेकेदारों द्वारा संविदा समझौते के उल्लंघन के मामले में ठेकेदारों के खिलाफ संविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करती है, जिसमें जुर्माना लगाना, संविदा समाप्त करना आदि शामिल है, लेकिन यह केवल इतने तक सीमित नहीं है।

(च): सरकार द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं अर्थात् भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, बोली शुरू करने से पहले भूमि अधिग्रहण के प्रमुख भाग को पूरा करना, विवाद समाधान तंत्र का पुनरूद्धार करना, परियोजनाओं को सौंपने से पहले पर्याप्त तैयारी करना (जैसे विभिन्न स्वीकृतियां, उपयोगिता प्राक्कलन आदि प्राप्त करना), आरओबी के लिए रेलवे द्वारा जीएडी अनुमोदन के लिए सरलीकृत और ऑनलाइन प्रक्रिया, अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय, एक बारगी निधि निषेचन योजना, विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा, इक्विटी इनवेस्टर्स के लिए तर्कसंगत निकासी, सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, प्राधिकरण से हुई देरी के लिए तर्कसंगत मुआवजा, परियोजनाओं के पूर्व समापन के उद्देश्य से रियायतग्राही / ठेकेदार या प्राधिकरण और ठेकेदार / रियायतग्राही दोनों के पारस्परिक दोष के कारण अटकी परियोजनाओं के समाधान हेतु निदेशक सिद्धांत जारी करना।

*****